

CHAPTER - VI
TAX INVOICE, CREDIT AND DEBIT NOTES

Rule 46 : Tax invoice

Subject to rule 54, a tax invoice referred to in section 31 shall be issued by the registered person containing the following particulars, namely,-

- (a) name, address and Goods and Services Tax Identification Number of the supplier;
 - (b) a consecutive serial number not exceeding sixteen characters, in one or multiple series, containing alphabets or numerals or special characters-hyphen or dash and slash symbolised as "-" and "/" respectively, and any combination thereof, unique for a financial year;
 - (c) date of its issue;
 - (d) name, address and Goods and Services Tax Identification Number or Unique Identity Number, if registered, of the recipient;
 - (e) name and address of the recipient and the address of delivery, along with the name of the State and its code, if such recipient is un-registered and where the value of the taxable supply is fifty thousand rupees or more;
 - (f) name and address of the recipient and the address of delivery, along with the name of the State and its code, if such recipient is un-registered and where the value of taxable supply is less than fifty thousand rupees and the recipient requests that such details be recorded in the tax invoice;
- ¹[**Provided** that where any taxable service is supplied by or through an electronic commerce operator or by a supplier of online information and database access or retrieval services to a recipient who is un-registered, irrespective of the value of such supply, a tax invoice issued by the registered person shall contain the name and address of the recipient along with its PIN code and the name of the State and the said address shall be deemed to be the address on record of the recipient.]
- (g) Harmonised System of Nomenclature code for goods or services;
 - (h) description of goods or services;
 - (i) quantity in case of goods and unit or Unique Quantity Code thereof;
 - (j) total value of supply of goods or services or both;
 - (k) taxable value of supply of goods or services or both taking into account discount or abatement, if any;

1 Proviso inserted by Noti. No. 26/2022-Central Tax, dt. 26-12-2022 w.e.f. 26-12-2022.

Central Goods & Services Tax Rules, 2017

- (l) rate of tax (central tax, State tax, integrated tax, Union territory tax or cess);
- (m) amount of tax charged in respect of taxable goods or services (central tax, State tax, integrated tax, Union territory tax or cess);
- (n) place of supply along with the name of State, in case of a supply in the course of inter-State trade or commerce;
- (o) address of delivery where the same is different from the place of supply;
- (p) whether the tax is payable on reverse charge basis;
- (q) signature or digital signature of the supplier or his authorized representative; and
- ²(r) Quick Reference code, having embedded Invoice Reference Number (IRN) in it, in case invoice has been issued in the manner prescribed under sub-rule (4) of rule 48.]
- ³(s) a declaration as below, that invoice is not required to be issued in the manner specified under sub-rule (4) of rule 48, in all cases where an invoice is issued, other than in the manner so specified under the said sub-rule (4) of rule 48, by the taxpayer having aggregate turnover in any preceding financial year from 2017-18 onwards more than the aggregate turnover as notified under the said sub-rule (4) of rule 48 –
“I/We hereby declare that though our aggregate turnover in any preceding financial year from 2017-18 onwards is more than the aggregate turnover notified under sub-rule (4) of rule 48, we are not required to prepare an invoice in terms of the provisions of the said sub-rule.”:]

⁴[**Provided that** the Board may, on the recommendations of the Council,

-
- 2 Clause (r) inserted by Noti. No. 72/2020–Central Tax, dt. 30-09-2020 w.e.f. 30-09-2020. (Corrected by corrigendum GSR 611 (E), dt. 01-10-2020)
 - 3 Clause (s) inserted by Noti. No. 14/2022–Central Tax, dt. 05-07-2022 w.e.f. 05-07-2022.
 - 4 Proviso substituted by Noti. No. 79/2020–Central Tax, dt. 15-10-2020 w.e.f. 15-10-2020. Earlier to substitution it read as under:
“**Provided** that the Board may, on the recommendations of the Council, by notification, specify-
 - (i) the number of digits of Harmonised System of Nomenclature code for goods or services that a class of registered persons shall be required to mention, for such period as may be specified in the said notification; and
 - (ii) the class of registered persons that would not be required to mention the Harmonised System of Nomenclature code for goods or services, for such period as may be specified in the said notification:”

Central Goods & Services Tax Rules, 2017

by notification, specify-

- (i) the number of digits of Harmonised System of Nomenclature code for goods or services that a class of registered persons shall be required to mention; or
- (ii) a class of supply of goods or services for which specified number of digits of Harmonised System of Nomenclature code shall be required to be mentioned by all registered taxpayers; and
- (iii) the class of registered persons that would not be required to mention the Harmonised System of Nomenclature code for goods or services:]

Provided further that where an invoice is required to be issued under clause (f) of sub-section (3) of section 31, a registered person may issue a consolidated invoice at the end of a month for supplies covered under sub-section (4) of section 9, the aggregate value of such supplies exceeds rupees five thousand in a day from any or all the suppliers:

⁵**Provided also** that in the case of the export of goods or services, the invoice shall carry an endorsement "SUPPLY MEANT FOR EXPORT/SUPPLY TO SEZ UNIT OR SEZ DEVELOPER FOR AUTHORISED OPERATIONS ON PAYMENT OF INTEGRATED TAX" or "SUPPLY MEANT FOR EXPORT/SUPPLY TO SEZ UNIT OR SEZ DEVELOPER FOR AUTHORISED OPERATIONS UNDER BOND OR LETTER OF UNDERTAKING WITHOUT PAYMENT OF INTEGRATED TAX", as the case may be, and shall, in lieu of the details specified in clause (e), contain the following details, namely,-

- (i) name and address of the recipient;
- (ii) address of delivery; and
- (iii) name of the country of destination:]

5 Third proviso substituted by Noti. No. 17/2017–Central Tax, dt. 27-07-2017 w.e.f. 27-07-2017. Earlier to substitution it read as under:

Provided also that in the case of the export of goods or services, the invoice shall carry an endorsement "SUPPLY MEANT FOR EXPORT ON PAYMENT OF INTEGRATED TAX" or "SUPPLY MEANT FOR EXPORT UNDER BOND OR LETTER OF UNDERTAKING WITHOUT PAYMENT OF INTEGRATED TAX", as the case may be, and shall, in lieu of the details specified in clause (e), contain the following details, namely,-

- (i) name and address of the recipient;
- (ii) address of delivery; and
- (iii) name of the country of destination:"

Central Goods & Services Tax Rules, 2017

Provided also that a registered person ⁶[, other than the supplier engaged in making supply of services by way of admission to exhibition of cinematograph films in multiplex screens,] may not issue a tax invoice in accordance with the provisions of clause (b) of sub-section (3) of section 31 subject to the following conditions, namely,-

- (a) the recipient is not a registered person; and
- (b) the recipient does not require such invoice, and

shall issue a consolidated tax invoice for such supplies at the close of each day in respect of all such supplies.

⁷[**Provided also** that the signature or digital signature of the supplier or his authorised representative shall not be required in the case of issuance of an electronic invoice in accordance with the provisions of the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000).]

⁸[**Provided also** that the Government may, by notification, on the recommendations of the Council, and subject to such conditions and restrictions as mentioned therein, specify that the tax invoice shall have Quick Response (QR) code.]

⁶ Inserted by Noti. No. 33/2019–Central Tax, dt. 18-07-2019 w.e.f. 01-09-2019.

⁷ Proviso inserted by Noti. No. 74/2018–Central Tax, dt. 31-12-2018 w.e.f. 31-12-2018.

⁸ Proviso inserted by Noti. No. 31/2019–Central Tax, dt. 28-06-2019. It is made effective from 01-04-2020 by Noti. No. 71/2019–Central Tax, dt. 13-12-2019.

अध्याय 6

कर, बीजक, प्रत्यय और विकलन टिप्पण

नियम 46 : कर बीजक

नियम 54 के अधीन रहते हुए, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा धारा 31 में निर्दिष्ट कर बीजक जिसमें निम्नलिखित विशिष्टियां अंतर्विष्ट हैं, जारी किए जाएंगे, अर्थात् :

- (क) प्रदायकर्ता का नाम, पता और माल या सेवा कर पहचान संख्या;
 - (ख) चौदह अक्षर से अनधिक क्रमिक क्रम संख्यांक, एक या बहु क्रम में, जिसके अन्तर्गत वर्णमाला या संख्या या विशिष्ट वर्ण – हाइफन या डेश या स्लेस प्रतीक जैसे, “-” और “/” क्रमशः और उसका कोई संयोजन, वित्तीय वर्ष के लिए यूनिक होगा;
 - (ग) उसके जारी करने की तारीख;
 - (घ) प्राप्तकर्ता का नाम, पता और माल और सेवाकार पहचान संख्या या विशिष्ट पहचान संख्या यदि रजिस्ट्रीकृत हैं;
 - (ङ) प्राप्तकर्ता का नाम पता और परिदान का पता, राज्य के नाम और उसके कोड के साथ, यदि ऐसा प्राप्तकर्ता अरजिस्ट्रीकृत है और जहां कराधेय प्रदाय का मूल्य पचास हजार रुपये या उससे अधिक है;
 - (च) प्राप्तकर्ता का नाम और पता और परिदान के पते के लिए राज्य का नाम और उसका कोड, यदि ऐसा प्राप्तकर्ता अरजिस्ट्रीकृत है और जहां कराधेय प्रदाय का मूल्य पचास हजार रुपये से कम है और प्राप्तकर्ता प्रार्थना करता है कि ऐसा ब्यौरा कर बीजक में अभिलिखित किया जाए;
- ¹[परंतु जहां कोई कर योग्य सेवा किसी इलैक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर द्वारा या उसके माध्यम से या ऑनलाईन सूचना और डेटाबेस एक्सेस या पुनर्प्राप्ति सेवाओं के आपूर्तिकर्ता द्वारा एक प्राप्तकर्ता को आपूर्ति की जाती है, जो अरजिस्ट्रीकृत है, ऐसे प्रदाय के मूल्य के बावजूद एक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा जारी किए गए कर बीजक में प्राप्तकर्ता का नाम और पता के साथ उसका पिन कोड और राज्य के नाम शामिल करना होगा और उक्त पते को प्राप्तकर्ता के रिकार्ड पर पता समझा जाएगा।]
- (छ) माल और सेवा का नामपद्धति की सामंजस्यपूर्ण प्रणाली;
 - (ज) मालों और सेवाओं का वर्णन;
 - (झ) माल और इकाई या उसके यूनिक मात्रा कोड की दशा में, मात्रा;
 - (ञ) मालों या सेवाओं या दोनों की प्रदाय का कुल मूल्य;
 - (ट) छूट या उपशमन को हिसाब में लेते हुए माल या सेवाओं या दोनों की प्रदाय का कराधेय मूल्य;
 - (ठ) कर की दर (केन्द्रीय कर, राज्य कर, एकीकृत कर, संघ राज्य कर या सेस);

1 अधिसूचना क्रमांक 26/2022-केन्द्रीय कर, दिनांक 26.12.2022 द्वारा परंतुक अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 26.12.2022)।

केन्द्रीय माल एवं सेवा कर नियम, 2017

- (ड) कराधेय मालों या सेवाओं की बाबत भारत कर की रकम (केन्द्रीय कर, राज्य कर, एकीकृत कर, संघ राज्य क्षेत्र कर या सेस);
- (ढ) राज्य के नाम के साथ प्रदाय का स्थान, अन्तरराज्यीय व्यापार या वाणिज्य के क्रम में प्रदाय की दशा में;
- (ण) परिदान का पता जहां वह प्रदाय के स्थान से भिन्न है;
- (त) क्या कर आरक्षित भार आधार पर देय है; और
- (थ) प्रदायकर्ता या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर या डिजिटल हस्ताक्षर;

²[(द) नियम 48 के उपनियम (4) के अधीन विहित रीति में बीजक जारी किए जाने के मामले में, इसमें बीजक सन्दर्भ संख्या (आई.आर.एन.) सन्निहित करने वाला त्वरित प्रत्युत्तर कोड।]

³[(ध) नीचे दी गई एक घोषणा की, उन सभी मामलों में, जहां ऐसे करदाता, जिसका 2017-18 से आगे किसी पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में, नियम 48 के उप-नियम (4) के अधीन यथा अधिसूचित समग्र आवर्त से अधिक समग्र आवर्त है, के द्वारा नियम 48 के उक्त उप-नियम (4) के अधीन इस प्रकार विनिर्दिष्ट रीति से भिन्न रीति में बीजक जारी किया गया है, वहां नियम 48 के उक्त उप-नियम (4) के अधीन विनिर्दिष्ट रीति में बीजक जारी किया जाना आवश्यक नहीं है।

“मैं/हम एतद् द्वारा घोषणा करता हूँ/करते हैं, कि यद्यपि 2017-18 से किसी भी पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में हमारा कुल कारोबार नियम 48 के उप-नियम (4) के तहत अधिसूचित कुल कारोबार से अधिक है, फिर भी हमें उक्त उप-नियम के प्रावधानों के अनुसार बीजक तैयार करने की आवश्यकता नहीं है।”]

⁴[परन्तु बोर्ड, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा निम्नलिखित विनिर्दिष्ट कर सकेगा—

- (i) माल या सेवाओं के लिए नामपद्धति कोड की सुमेलित प्रणाली के अंकों की संख्या, जिसकी किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के वर्ग द्वारा उल्लेख किया जाना आवश्यक है; या

2 अधिसूचना क्रमांक 72/2020-केन्द्रीय कर, दिनांक 30.09.2020 द्वारा खण्ड (द) अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 30.09.2020)। [इस हेतु शुद्धिपत्र सा.का.नि. 611(इ), दिनांक 01.10.2020 प्रकाशित]।

3 अधिसूचना क्रमांक 14/2022-केन्द्रीय कर, दिनांक 05.07.2022 द्वारा खंड (ध) अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 05.07.2022)।

4 अधिसूचना क्रमांक 79/2020-केन्द्रीय कर, दिनांक 15.10.2020 द्वारा परंतुक प्रतिस्थापित (प्रभावशील दिनांक 15.10.2020)। प्रतिस्थापन के पूर्व यह इस प्रकार था -

"परन्तु आयुक्त, परिषद् की सिफारिशों पर अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट कर सकेगा—

- (i) माल या सेवाओं के लिए नाम पद्धति कोड की सामंजस्यपूर्ण प्रणाली की संख्या, जो रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के वर्ग से उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की गई ऐसी अवधि के लिए उल्लेख अपेक्षित होगा; और
- (ii) रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों का वर्ग जिनसे माल और सेवाओं के लिए नामपद्धति कोड की सामंजस्यपूर्ण प्रणाली, उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की गई ऐसी अवधि के लिए अपेक्षित नहीं होगा :"

केन्द्रीय माल एवं सेवा कर नियम, 2017

- (ii) माल या सेवाओं के प्रदाय का कोई ऐसा वर्ग, जिसके लिए नामपद्धति कोड की सुमेलित प्रणाली के अंकों की विनिर्दिष्ट संख्या का सभी रजिस्ट्रीकृत करदाताओं द्वारा उल्लेख किया जाना आवश्यक है; और
- (iii) रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों का वर्ग, जिससे माल या सेवाओं के लिए नामपद्धति कोड की सुमेलित प्रणाली का उल्लेख किया जाना आवश्यक नहीं होगा :]

परन्तु यह और कि धारा 31 की उपधारा (3) के खण्ड (च) के अधीन बीजक जारी किया जाना अपेक्षित है, कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति धारा 9 की उपधारा (4) के अधीन आने वाले प्रदायों के लिए मास के अंत में समेकित बीजक जारी कर सकता है, जब एक दिन में किसी प्रदायकर्ता या सभी प्रदायकर्ताओं से ऐसे प्रदायों का समुचित मूल्य पांच हजार से अधिक है।

⁵**[परन्तु यह भी** कि माल या सेवाओं के निर्यात की दशा में बीजक पर, यथास्थिति, "निर्यात/एसईजेड इकाई या एसईजेड विकासकर्ता को एकीकृत कर के संदाय पर प्राधिकृत प्रचालनों के लिए पूर्ति" या "निर्यात/एसईजेड इकाई या एसईजेड विकासकर्ता को एकीकृत कर का संदाय किए बिना बंधपत्र या वचनबंध के अधीन प्राधिकृत प्रचालनों के लिए पूर्ति का पृष्ठांकन होगा और खंड (ड.) में विनिर्दिष्ट ब्यौरे के स्थान पर निम्नलिखित ब्यौरे अंतर्विष्ट होंगे, अर्थात् :

- (i) प्राप्तिकर्ता का नाम और पता;
- (ii) परिदान का पता; और
- (iii) गंतव्य देश का नाम :]

परन्तु रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ⁶**[बहुविद्ध** स्क्रीन में सिनेमा फिल्मों के प्रदर्शन में प्रवेश के माध्यम से सेवाओं की पूर्ति करने में लगे हुए पूर्तिकार से भिन्न] निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए धारा 31 की उप-धारा (3) के खंड (ख) के उपबंधों के अनुसरण में कर बीजक जारी नहीं कर सकेगा, अर्थात्,-

(क) प्राप्तिकर्ता एक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति नहीं हैं, और

5 अधिसूचना क्रमांक 17/2017-केन्द्रीय कर, दिनांक 27.07.2017 द्वारा तृतीय परंतुक प्रतिस्थापित (प्रभावशील दिनांक 27.07.2017)। प्रतिस्थापन के पूर्व यह इस प्रकार था :

"**परन्तु यह** कि माल और सेवाओं के निर्यात की दशा में बीजक में 'एकीकृत कर के संदाय पर निर्यात के लिए प्रदाय' या एकीकृत कर के संदाय के बिना बांड या करार या वचनबंध के अधीन निर्यात के लिए प्रदाय' जैसा भी मामला हो पृष्ठांकित होगा, और खंड (ड) में विनिर्दिष्ट ब्यौरे के बजाय, निम्नलिखित ब्यौरा अन्तर्विष्ट होगा, अर्थात् :-

- (i) प्राप्तिकर्ता का नाम और पता
- (ii) परिदान का पता
- (iii) गंतव्य देश का नाम

6 अधिसूचना क्रमांक 33/2019-केन्द्रीय कर, दिनांक 18.07.2019 द्वारा अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 01.09.2019)।

केन्द्रीय माल एवं सेवा कर नियम, 2017

(ख) प्राप्तिकर्ता से ऐसा बीजक अपेक्षित नहीं होता है और सभी ऐसी प्रदायकों के संबंध में प्रत्येक दिन की समाप्ति पर ऐसी प्रदाय के लिए एकीकृत कर बीजक जारी करेगा।

⁷[परन्तु यह भी कि प्रदायकर्ता या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर या डिजिटल हस्ताक्षर सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) के उपबंधों के अनुसार प्रदाय के इलैक्ट्रॉनिक बिल बीजक जारी किए जाने के मामले में अपेक्षित नहीं होंगे।]

⁸[परन्तु यह भी कि सरकार, अधिसूचना द्वारा, परिषद् की सिफारिशों पर और ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अधीन रहते हुए, जो उसमें वर्णित किए जाएं, यह विनिर्दिष्ट कर सकेगी कि प्रदाय पत्र का त्वरित प्रतिक्रिया (क्यू आर) कोड होगा।]

-
- 7 अधिसूचना क्रमांक 74/2018—केन्द्रीय कर, दिनांक 31.12.2018 द्वारा परंतुक अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 31.12.2018)।
- 8 अधिसूचना क्रमांक 31/2019—केन्द्रीय कर, दिनांक 28.06.2019 द्वारा परंतुक अंतःस्थापित। अधिसूचना क्रमांक 71/2019—केन्द्रीय कर, दिनांक 13.12.2019 द्वारा इसको दिनांक 01.04.2020 से प्रभावशील किया गया।